# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

**अपील संख्या :– 93/2024**

श्याम सुन्दर वैष्णव **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप–I), राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
4. जिला कलक्टर, कलक्टर कार्यालय, चित्तौड़गढ।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 04.03.2024
**आदेश की दिनांक** : 06.03.2024

**उपस्थित :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोपाल लाल आचार्य, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ में कार्यरत है। अपीलार्थी निरन्तर पटवारी के पद पर कार्य करता रहा इस दौरान पटवार मण्डल बारू तहसील राश्मी में कार्यरत होने के दौरान जिला कलेक्टर चित्तौडगढ द्वारा आदेश दिनांक 10–3–2022 जारी किया जाकर प्रशासनिक कारणो से पटवार मण्डल राशमी से पटवार मण्डल मुरला तहसील भूपालसागर के रिक्त पद पर लगाया गया।
3. उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 13.07.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर के समक्ष अपनी उपस्थिति दी तथा इसके पश्चात जिला

कलेक्टर चित्तोडगढ द्वारा आदेश जारी किया जाकर आंशिक संशोधन करते हुए अपीलार्थी को पटवार मण्डल बागुण्ड तहसील भदेसर के रिक्त पद पर लगाया गया।

4. यह है कि इसके पश्चात अपीलार्थी की पटवार मण्डल बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ में नियमित रूप से सेवाऐ दे रहा था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22–2–2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा पटवार मण्डल बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ में अपीलार्थी के कार्यरत होने के बावजूद श्री गिरधारीसिंह को पटवार मण्डल रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर से पटवार मण्डल बागुण्ड तहसील भदेसर में रिक्त पद बताते हुए स्थानान्तरण आदेश जारी किया।
5. यह है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश के साथ साथ राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 22–2–2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षकों/पटवारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी करते हुए क्रम सं० 36 श्री श्यामसुन्दर वैष्णव को पटवारी पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ का स्थानान्तरण जिला भीलवाड़ा में कर दिया।
6. अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया है कि जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ के आदेश दिनांक 13.07.2023 द्वारा अपीलार्थी श्री श्यामसुन्दर वैष्णव, पटवारी प०म० बारू, तहसील राशमी को अग्रिम आदेश तक प्रशासनिक कारणों से प०म० मुरला, तहसील भूपालसागर के रिक्त पद पर कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए प०म० बागुण्ड तहसील भदेसर के रिक्त पद पर अग्रिम आदेश तक कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है जोकि अनुचित है एवं इसे अपास्त किया जावे।
7. अतः अपील को स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को स्थगित किया जाकर निरस्त फरमाया जावें।
8. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
9. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी पटवारी के पद पर पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार मण्डल बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ से जिला भीलवाड़ा में प्रशासनिक आवश्यकता से राज्यहित में किया गया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की

एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"In our opinion, the courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer order issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."***

10. लिहाजा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
11. आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**